दूरभाष : (0135)–2627612, फैक्स : (0135)–2627950
ई–मेल : dfodoon@gmail.com

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 1979 /12–1 देहरादून, दिनांक : 6 दिसम्बर, 2021.

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय : जनपद देहरादून में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषण सं0–105/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चांदमारी–मिस्सरवाला–लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन निर्माण हेतु 3.600 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/Road/42851/2019.

सन्दर्भः राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद (NBWL) का कार्यवृत्त दिनांक 05 अप्रैल, 2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव के क्रम में राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद (NBWL) द्वारा दिनांक 05–04–2021 को आहूत बैठक में कथित सड़क मार्ग के परिप्रेक्ष्य में हुई चर्चा–विमर्श के उपरान्त उपर्युक्त सन्दर्भण के माध्यम से विभिन्न बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रयोक्ता विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–587/1सी0 (कैम्प) दिनांक 29–11–2021 **(छायाप्रति संलग्न)** से वांछित आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्न प्रकार दर्शित है :–

क्रमांक	आख्या हेतु निर्धारित बिन्दु	प्रत्युत्तर
01	It was decided that to edit the details of non-forest land on online portal this office will also consult the NIC, New Delhi.	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता विभाग द्वारा एन0आई0सी0 नई दिल्ली को नाप भूमि को ऑनलाईन पोर्टल पर सम्मिलित करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है।
02	State Government may justify the requirement of width 12 m for the construction of road in accordance with the norms of IRC, and work out to reduce the width in order to minimize the felling, if possible.	उक्त क्रम में प्रयोक्ता विभाग द्वारा प्रतिवेदन परिवेश पोर्टल के ऑनलाईन पार्ट–I में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड किया गया है।
03	It is seen that the area proposed for diversion falls within 10 km of Rajaji National Park. The State Government may submit the comments of the CWLW for adverse impact on wildlife and requirement	उक्त सम्बन्ध में अवगतनीय है कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड से प्राप्त अनापत्ति के अनुसार सम्बन्धित परियोजना से राजाजी टाईगर रिजर्व की ईको सेंसिटिव जोन/वन्य जीवों पर कोई प्रतिकूल

	of animal passage plan, if any.	प्रभाव नहीं पड़ेगा। सम्बन्धित अनापत्ति (प्रारूप–26) परिवेश पोर्टल के ऑनलाईन पार्ट–I व पार्ट–II में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड किया गया।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 1979 (1)/ 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, ऋषिकेश को उनके उक्त उल्लिखित पत्र/प्रस्ताव के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश (देहरादून)
office of the Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh

Phone/fax No.: 0135-2430660
E-mail: eetdrksh@rediffmail.com

पत्रांक......587 /1सी0(कैम्प)
दिनांक. 29 / 11 / 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वनप्रभाग
देहरादून।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 105 / 2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत डोईवाला दूधली मोटर मार्ग से चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण हेतु 3.60 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तांतरण।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी0 / यू0 सी0पी0 / 06 / 137 / 20 / एफ0सी0 / 2532 दि0 26.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दि0 05.04.2021 को वनभूमि प्रकरण पर चर्चा की गई है उक्त के कम में मार्ग निर्माण एवं उसकी चौड़ाई से सम्बन्धित डिजाईन एवं टैक्नीकल स्पेस्फिकेशन आदि पर चर्चा की गई। मार्ग निर्माण हेतु आइ0आर0सी0एस0पी0 73 पेज नं0 36 के अनुसार राईट ऑफ वे के अनुसार मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर ही ली जानी सम्भव है, मार्ग के दोंनो ओर दिलीपनगर टोंगिया ग्राम स्थित है जो 1980 से पूर्व का विद्यमान है।

It was decided that to edit the details of non-forest land on online portal this office will also consult the NIC, New Delhi.	एन0आई0सी0 नई दिल्ली को नाप भूमि को ऑनलाईन पोंटल पर सम्मिलित करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया हैं।
State Government may justify the requirement of width 12 m for the construction of road in accordance with the norms of IRC, and work out to reduce the width in order to mininmize the felling, if possible.	प्रतिवेदन संलग्न।
It is seen that the area proposed for diversion falls within 10 KM of Rajaji national park. The state government may submit the comments of the CWLW for adverse impact on wildlife and requirement of animals passage plan, if any.	उक्त मार्ग के निर्माण होने से मुख्य वन्यं जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड से प्राप्त अनापत्ति के अनुसार सम्बन्धित परियोजना से राजाजी टाइगर रिजर्व की ईको सेंसीटिव जोन / वन्य जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा सम्बन्धित अनापत्ति प्रारूप 26 ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अग्रसारित करने की कृपा करे ताकि मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संलग्नः– प्रतिवदेन एवं आइ0आर0सी0एस0पी0 73 पेज नं0 36 की प्रति।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

पत्रांक...................... /1सी0(कैम्प)
दिनांक. / /2021

प्रतिलिपिः–
1. सहायक अभियन्ता(पंचम) अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता